

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या—6 / वि०पत्रा०—24—05 / 2024

पटना, दिनांक:—

श्रीमती दिव्या ज्योति, राज्य-कर उपायुक्त (56—59वीं० बैच), सासाराम अंचल, सासाराम को उनकी द्वितीय संतान के लिए बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014 के नियम 220 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या—2498 दिनांक—12.04.2007 के अंतर्गत दिनांक—06.04.2026 से 02.10.2026 तक कुल 180 दिनों का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह० / —

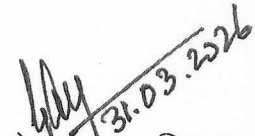
(विजय कुमार)

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6 / वि०पत्रा—24—05 / 2024 1140

पटना, दिनांक:— 01/04/26

प्रतिलिपि:— प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना / जिला कोषागार पदाधिकारी, सासाराम / राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), मगध प्रमंडल, गयाजी / राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), सासाराम अंचल, सासाराम / राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच० आर० एम० एस०, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / राज्य-कर उपायुक्त-सह- एच०आर मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना / आई० टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती दिव्या ज्योति, राज्य-कर उपायुक्त (56—59वीं० बैच), सासाराम अंचल, सासाराम को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।